International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 3; Issue 3; May 2018; Page No. 59-63

सीधी जिले में उच्च प्राथमिक स्तर पर जनजातियों के शिक्षा विकास का समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ0 मृगेन्द्र सिंह परिहार
प्राचार्य, शिक्षा महाविद्यालय, सीधी, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश
प्रस्तुत शोध पत्र सीधी जिले में उच्च प्राथमिक स्तर पर जनजातियों के शिक्षा विकास का समीक्षात्मक अध्ययन पर आधारित है। शोध पत्र में जनजातियों के शिक्षा विकास हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनजातीय समुदाय शिक्षा के प्रति कितना जागरुक है, शिक्षा प्राप्त करने की ओर कितना ध्यान दे रहे है, शासन की नीतियों का सफलतापूर्वक पालन हो रहा है या नहीं, पर विस्तार से अध्ययन किया गया है। जनजातीय समुदाय अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में कामयाब रहा है या नहीं, इसी का समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है। शोध क्षेत्र के 80. 00 प्रतिशत प्रधानाध्यापक, 77.00 प्रतिशत शिक्षक, 68.00 प्रतिशत अभिभावक व 71.00 प्रतिशत छात्र यह मानते हैं, कि शोध क्षेत्र के उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रवृत्ति का समय पर न मिलना, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता का अभाव है।

मूल शब्द : सीधी जिला, उच्च प्राथमिक स्तर, जनजातीय, शिक्षा व विकास।

प्रस्तावना
शिक्षा मानव के विकास की मूलभूत आवश्यकता है। जिसके अभाव में व्यक्ति का जीवन देश और समाज की गतिविधियों से अधूरा रह जाता है जिसके परिणामस्वरूप वह व्यक्तिगत उन्नति के साथ ही सामाजिक क्षेत्र में अपनी सक्रियता खोकर पिछड़ेपन का शिकार हो जाता है। जीवन पर्यन्त उसे शोषण, उत्पीड़न, निराशा तथा अत्याचारों के कुचक्रों से गुजरना पड़ता है। अतः शिक्षा ही वह सशक्त साधन है, जिसका अवलम्बन पाकर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन की प्रगति करते हुए सामाजिक व आर्थिक प्रगति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
शिक्षा समाजीकरण एवं सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन मानी जाती है। इसी कारण किसी भी समाज, राष्ट्र या देश की सामाजिक प्रगति एवं विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वैसे तो शिक्षा का महत्व व उपयोगिता प्रत्येक काल, युग व समय में रही है, किन्तु आधुनिक युग में शिक्षा का महत्व अत्यधिक है। ''शिक्षा तो सदैव एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। परन्तु फिर भी इसका महत्व मानव इतिहास में इतना कभी नहीं रहा, जितना कि आधुनिक समय में है। विज्ञान एवं प्राविधिकी पर आश्रित विश्व में शिक्षा ही एक ऐसा तत्व है, जो लोगों की समृद्धि, कल्याण तथा सुरक्षा के स्तर का निर्धारण करता है।''[1]
शिक्षा मानव के लिये आवश्यक तत्व बन गया है। भारत में ही नहीं, संसार के प्रत्येक देश का प्रमुख लक्ष्य अपनी जनता को सार्वलौकिक शिक्षा प्रदान करना है। हमारे देश में भी शिक्षा की अति आवश्यकता है। डॉ. राधाकृष्णन के अनुसार– ''कल्याणकारी राज्य में हमारा उद्देश्य अपने सब नागरिकों को भोजन, कपड़ा और मकान की प्रारम्भिक आवश्यकताओं को पूरा करना ही नहीं होना चाहिये, वरन् इन भाइयों के समान रहना सिखाना चाहिये जिन्होंने अपनी शिक्षा के द्वारा अपनी प्रतिभा एवं क्षमताओं को निखारकर एक विशिष्टता प्राप्त कर ली है, एवं समाज की बेहतरी हेतु एक जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बन गये हैं भले ही वे विभिन्न प्रजातियों, धर्मों और प्रान्तों के क्यों न हो, समानता के इन आदर्श गुणों की समझ तो मात्र शिक्षा से ही संभव है, शिक्षा के द्वारा हमें समाज के शक्तिशाली हितों को ही नहीं वरन् मानव हितों को भी संतुष्ट करना होगा। शिक्षा ही जीवन की प्रगति, परिवर्तन एवं चेतना का सर्वाधिक सशक्त अस्त्र है। शिक्षा के द्वारा ही हम राष्ट्र के सपनों को साकार कर सकते हैं। समाज एवं मनुष्य का निर्माण कर सकते हैं।''[2]
शोधार्थी द्वारा चयनित शोध क्षेत्र मध्य प्रदेश का सीधी जिला सामाजिक तथा आर्थिक दोनों ही पक्षों में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसके साथ इस जिले की भौगोलिक स्थिति भी समरूप नहीं है। जिले में पर्वत, पठार, जंगल, नदियाँ, दुर्गम स्थल तथा मैदानी क्षेत्र सभी सम्मिलित हैं। इसी कारण यहाँ के निवासियों की जीवन शैली तथा जीवन स्तर पर भी विविधता स्पष्ट परिलक्षित होती है। पर्वतीय पठारों तथा जंगली क्षेत्र की बहुतायत के कारण जनजातियों की संख्या भी पर्याप्त है। इन वर्गों की अनेक उपजातियाँ भी हैं जिनकी सामाजिक व्यवस्थाएँ तथा मान्यताएँ एक–दूसरे से भिन्न है। देश के साथ ही साथ क्षेत्र विशेष के विकास में इन वर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस वर्ग की आर्थिक स्थिति भी अत्यंत कमजोर है, जो उनके विकास में अवरोधक है।
किसी देश की आदर्श प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिये सम्पूर्ण जनसंख्या का शिक्षित होना आवश्यक है। प्रजातंत्र की सफलता के लिये यह एक अनिवार्य पक्ष है। परतंत्रता के कारण हमारा देश शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा था। इसीलिये देश की स्वतंत्रता के पश्चात् इसके महत्व को समझकर संविधान में शिक्षा के प्रचार–प्रसार को सर्वोपरि महत्व दिया गया। संविधान की धारा 45 के अनुसार ''राज्य अनिवार्य रूप से संविधान के लागू होने की तिथि से 10 वर्षों के अन्तर्गत देश के सभी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालक–बालिकाओं को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा देने का प्रबन्ध करेगा।[3] निश्चय ही यह एक श्रेष्ठ आदर्श व्यवस्था की गई, जो राज्य की प्रगति का आधार है।
शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण एवं सर्वसुलभ बनाने, समाज के अंतिम छोर तक इसके विस्तार करने और उसे सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु भारत सरकार के संकल्प से प्रदेशों मे सर्वशिक्षा अभियान लागू किया गया है। राज्य सरकारों और स्थानीय स्वशासनों के भागीदारी से शुरू किये गये इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2010 तक 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।

सीधी जिले में जनजातियों की बहुलता है। जिले में रह रहे सामान्य जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की तुलना में जनजातियों की साक्षरता काफी कम है। इन वर्ग विशेष की पुरुष व महिला दोनों की शैक्षिक स्थिति दयनीय है। इनके महिला वर्ग की शैक्षिक स्थिति तो अत्यंत दयनीय है। ऐसी स्थिति में इन्हें पूर्ण शिक्षित कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये जो शासन का लक्ष्य है, उसे प्राप्त करना दुष्कर प्रतीत होता है।

प्रस्तुत शोध पत्र सीधी जिले में उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर पर जनजातीय शिक्षा विकास पर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनजातीय समुदाय शिक्षा के प्रति कितना आकर्षित एवं जागृत हुआ है और शिक्षा प्राप्त करने की ओर कितना ध्यान दे रहा है शासन की शिक्षा नीतियों का सफलता पूर्वक पालन कर रहा है या नहीं? इस शोध पत्र का यह प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा मानव के चहुमुखी विकास का आधार स्तंभ है। संविधान में निर्धारित है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपब्ध कराई जावे इसका प्रमुख उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से इन पिछड़े वर्ग को शिक्षा देकर अन्य वर्ग के बराबरी पर लाना है।

शोध समस्या में प्रयुक्त शब्दावली का परिभाषीकरण

1. **सीधी जिला–** सीधी मध्यप्रदेश के उत्तर–पूर्व छोर पर स्थित जिला है। इसका मध्यप्रदेश में एक ऐतिहासिक स्थान है। सीधी जिले का प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। सोन इस जिले की महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी प्राकृतिक संपदा से भरपूर है।
2. **उच्च प्राथमिक स्तर –** मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित कक्षा 6 से 8 तक।
3. **आदिवासी क्षेत्र –** सीधी जिले में जनजातीय क्षेत्र में संचालित उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय।
4. **विकास –** विकास से तात्पर्य है उच्च प्राथमिक स्तर पर शासन द्वारा उपलब्ध विभिन्न योजनाओं का लाभ छात्रों को मिल रहा है कि जानकारी प्राप्त करना।
5. **समीक्षात्मक अध्ययन –** शोध के अन्तर्गत न्यादर्श हेतु चयनित विद्यालयों में अध्ययनरत जनजातीय क्षेत्रों के उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्रों को विभिन्न योजनाओं के लाभ का समीक्षात्मक अध्ययन करना है।

अध्ययन का उद्देष्य

1. सीधी जिले में जनजातीय क्षेत्रों के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में जनजातीय बच्चों को उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की गति का अध्ययन करना।
2. सीधी जिले में जनजातीय क्षेत्रों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों की शैक्षणिक सुविधाओं का उचित उपयोग न करने का व उचित लाभ न उठाने के कारणों का अध्ययन करना।
3. शिक्षा अध्ययन में रुचि न लेना शाला से पलायन करना अथवा गैरहाजिर रहना।
4. शालाओं में क्रीड़ा प्रतियोगिता या खेल को महत्व न देना।

शोध परिकल्पना

शैक्षिक अनुसंधान में समस्या चयन के बाद परिकल्पनाओं की रचना शोध प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण स्तम्भ है। परिकल्पना से समस्या समाधान को उचित दिशा निर्धारित होती हैं परिकल्पनाओं द्वारा अनुसंधानकर्ता को तर्क संगत आंकड़ों के संकलन में ठीक दिशा मिलती है। भौतिक विज्ञानों में एक ही परिकल्पना को लेकर उसका परीक्षण करते हैं, किन्तु शैक्षिक अनुसंधान में अनेक परिकल्पनायें लेते हैं और प्रत्येक की सत्यता का परीक्षण करते हैं। अतः परिकल्पना का निर्माण समस्या की प्रकृति पर निर्भर है। प्रस्तुत शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ निम्नानुसार हैः–

1. "सीधी जिले में उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रवृत्ति का समय पर न मिलना, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता का अभाव है।"

अध्ययन का परिसीमन

प्रस्तावित शोध कार्य का क्षेत्र जिला सीधी है। इसके अन्तर्गत 3 विकासखण्ड – कुशमी, मझौली, रामपुर नैकिन, सीधी व सिहावल हैं।

न्यादर्श चयन

अनुसंधान तथा शोध के प्रयोग का प्रारूप न्यादर्श की प्रविधि पर आधारित होता है। एक उत्तम प्रकार के शोध कार्य में न्यादर्श तथा उसकी जनसंख्या संबंधी समस्त सूचनाओं को दिया जाता है। शोध कार्य को सार्थक करने के लिए न्यादर्श का चयन किया जाता है जो निम्नानुसार है–

सारणी 1: न्यादर्श चयन

क्र.	विकासखण्ड	विद्यालय संख्या	शिक्षक संख्या	प्रधानाध्यापक	अभिभावक संख्या	छात्र संख्या
1.	कुशमी	10	20	10	20	100
2.	मझौली	10	20	10	20	100
3.	रामपुर नैकिन	10	20	10	20	100
4.	सीधी	10	20	10	20	100
5.	सिहावल	10	20	10	20	100
योग		50	100	50	100	500

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है जिले के सभी विकासखण्डों से 10–10 विद्यालय कुल 50 विद्यालयों का चयन दैव निदर्शन पद्धति द्वारा अध्ययन हेतु किया गया है। शोध कार्य के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु गहन अध्ययन करने के लिए न्यादर्श के रूप में चयनित विद्यालयों से 2–2 शिक्षक कुल 100 शिक्षक, प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, 2–2 अभिभावक तथा प्रत्येक विद्यालय से 05 बालक व 05 बालिका, कुल 500 का चयन दैव निदर्शन पद्धति से साक्षात्कार हेतु किया गया है।

शोध विधि

शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध अध्ययन के विधिवत सम्पादन के लिए निम्न शोध विधियों का चयन किया गया है–

सर्वेक्षण अध्ययन विधि

सर्वेक्षण अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा शोध समस्या के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है। आंकड़े मुख्य तथा वर्तमान स्तर का निर्धारण, वर्तमान

स्तर की मान्य स्तर से तुलना, तथा वर्तमान स्तर को विकसित करने में महत्वपूर्ण उपादान होते हैं। सर्वेक्षण में व्यक्ति की अपेक्षा तथ्यों, परिस्थितियों तथा गणनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

साक्षात्कार विधि

शैक्षिक अनुसंधान में साक्षात्कार विधि का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। इस विधि के द्वारा गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनो प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। इस अनुसंधान में भी शोधार्थी ने साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया है।

साख्यिकीय विधि

सर्वेक्षण तथा साक्षात्कार विधि से प्राप्त ऑकड़ो का वर्गीकरण एवं सारणीयन किया गया है। जिनकी व्याख्या एवं विश्लेषण हेतु, सांख्यकीय विधियाँ प्रयोग में लाई गयी है। प्रस्तुत शोधकार्य में परिकल्पनाओं का परीक्षण सांख्यकीय विधियों द्वारा करने के लिये– Mean, प्रतिशत (%), S.D., Chisquare test, 'T' Test आदि प्रयोग किये गये है, साथ ही गुणात्मक विश्लेषण पर भी ध्यान रखा गया हैं।

पूर्व अध्ययन समीक्षा

पूर्ववर्ती अध्ययन से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सबन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान कोशों, पत्र–पत्रिकाओं, शोध पत्रों तथा अभिलेखों आदि से है, जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निमार्ण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने तथा कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है इनमें से मुख्य रूप से शर्मा (2007)[4], मंगल (2005)[5], पाठक (2013)[6], गुप्ता (1997)[7], भोलेराव (2015)[8], त्रिपाठी (2007)[9] एवं प्रसाद गोमती (2009)[10] ने शोध विषय से सम्बन्धित कार्य किये है।

शोध उपकरण

स्वनिर्मित प्रश्नावली द्वारा शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अभिभावक व छात्रों से साक्षात्कार व प्रश्नावली के माध्यम से ज्ञात किया गया है।

शोध क्षेत्र का परिचय

भारत के ह्रदय स्थल मध्यप्रदेश के पूर्वोत्तर में विन्ध्य उपाधिकाओं के बीच सीधी जिला स्थित है। प्रारंभ में यह सिद्धी सम्प्रदाय के शासकों द्वारा शासित रहा। सीधी प्राचीनकाल में शैव साधकों की शरणास्थली रहा। इस बात की पुष्टि चुरहट स्थित सन्यासियों की कोठी, यहाँ के पुरातत्व, वास्तुशिल्प एवं प्राचीन मंदिर इस मूर्तियों के द्वारा होती है।

कालान्तर में यह क्षेत्र चौहानों के अधीनस्थ रहा, जो कुछ काल तक स्वतन्त्र एवं बाद में रीवा राज्य के बघेल शासकों के अधीन रहकर शासन करते रहे। 1 अप्रैल 1949 तक यह जिला बघेलखण्ड रियासत के अन्तर्गत था एवं रियासतों के विलीनीकरण के पश्चात विंध्यप्रदेश के अन्तर्गत हो गया। 1 नवम्बर 1956 में राज्य के पुर्नगठन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश राज्य का निर्माण हुआ, तो यह जिला मध्यप्रदेश के रीवा संभाग का एक जिला हो गया। यहाँ सोनभद्र नदी एवं बनास नदी के संगम स्थल पर भमरसेन के निकट चन्दरेह में प्राचीन शिव मंदिर है, जो 5 वीं सदी का है। इसकी वास्तुकला अद्वितीय है। इसके साथ ही एक प्राचीन शिव मंदिर है, जो 5 वीं सदी का है। इसकी वास्तुकला अद्वितीय है। इसके साथ ही एक प्राचीन शिवमठ है जो उस समय का धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का केन्द्र था। इसके अतिरिक्त यहाँ लुरघुटी का किला, बढ़ौरा का शिव मन्दिर एवं कलचुरि का विश्राम गृह दर्शनीय है।

ऐतिहासिक, धार्मिक/पुरातात्विक स्थल

1. चन्दरेह का मंदिर : जिला मुख्यालय से 42 किमी0 दूर है। कलचुरि सम्वत् 724 समीचीन काल 973 ई0 आसपास निर्मित है।
2. घोघरा : सीधी मुख्यालय से 15 कि0मी0 दूर चण्डी मंदिर है।
3. परसिली रेस्ट हाऊस : जिला मुख्यालय से 50 कि0मी0 दूर मनोरम पर्यटन स्थल है।
4. नौढ़िया शिकारगाह : परसिली से 8 कि0मी0 दूर बघेल राजाओं के द्वारा निर्मित कठगंगला (लकड़ी द्वारा निर्मित)
5. बढ़ौरा का मंदिर : सीधी मुख्यालय से 15 कि0मी0 दूर शिव मंदिर है।

सीधी जिले का भौगोलिक परिदृश्य

सीधी जिला मध्यप्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग $23^0 47'$ से $24^0 42'$ तक उत्तरी अक्षांश और $81^0 18'$ से $82^0 40'$ तक पूर्वी देशान्तर में स्थित है। जिले की पूर्व से पश्चिम की लम्बाई 155 कि.मी. तथा उत्तर से दक्षिण 95 कि.मी. है। इसका कुल क्षेत्रफल 10532 वर्ग कि.मी. है। जिले के पूर्व में सिंगरौली, दक्षिण–पश्चिम में शहडोल, सतना दक्षिण में छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला तथा उत्तर में रीवा जिला स्थित है।

तापमान, वर्ष एवं जलवायु

सीधी जिले का अधिकतम तापमान मई जून से 45.46^0 से0 तथा न्यूनतम तापमान माह दिसम्बर–जनवरी में 5^0 से0ग्रे0 तक रहता है। जिले मे औसत वर्षा 950 मिलीमीटर से 1250 मि0मी0 तक होती है। जिले की जलवायु सामान्यतः समशीतोष्ण है। ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में अधिक सर्दी पड़ती है।

नदी, पहाड़ एवं मिट्टी

जिले की सबसे बड़ी नदी सोन है। बनास, गोपद एवं रिहन्द इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये समस्त नदिया सोन, बेसिन के अन्तर्गत आती हैं। जिले के मैदानी भागों की मिट्टी उपजाऊ है, किन्तु पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टी कम उपजाऊ तथा हल्के किस्म की है।

भू–रचना के आधार पर सीधी जिले को मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया गया है–

1. उत्तर की कैमोर श्रेणियाँ
2. मध्य सोन घाटी
3. दक्षिण की मझौली मड़वास पठार

जनगणना एवं लिंगानुपात

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार सीधी जिले की जनसंख्या 1127033 है, जो जिले में वृद्धि 23.72 प्रतिशत है। जिले में पुरुष जनसंख्या वृद्धि 22.74 प्रतिशत व महिला 24.75 प्रतिशत है।

परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या

शोधार्थी द्वारा किया गया कोई भी शोध कार्य सही अर्थों में तभी प्रतिबिम्बित होता है, जब शोधार्थी द्वारा उस समस्या की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाय। इसके लिये यह आवश्यक है, कि शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन में उपयेाग किये गये समस्त शोध उपकरणों द्वारा प्राप्त जानकारियों को व्यवस्थित क्रम में सारणीबद्ध किया जाय, निम्नानुसार है–

सारणी 2: उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रवृत्ति का समय पर न मिलना, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता का अध्ययन

क्र.	न्यादर्श	न्यादर्श में चयनित संख्या	उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रवृत्ति का समय पर न मिलना, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता का			
			अभाव है		अभाव नही है	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	प्रधानाध्यापक	50	40	80.00	10	20.00
2.	शिक्षक	100	77	77.00	23	23.00
3.	अभिभावक	100	68	68.00	32	32.00
4.	छात्र	500	355	71.00	145	29.00
योग		750	540	70.00	210	28.00

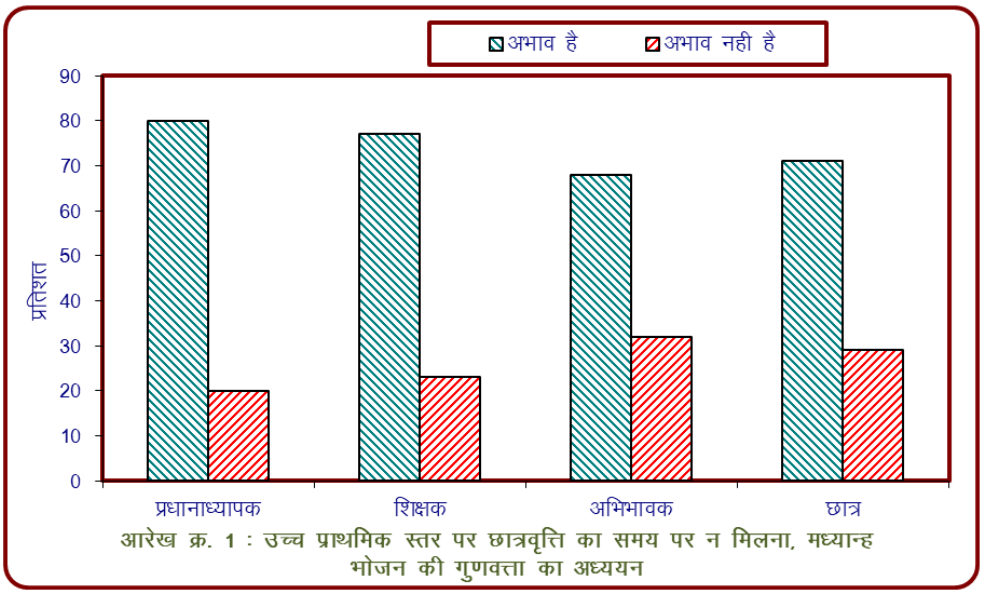

आरेख क्र. 1 : उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रवृत्ति का समय पर न मिलना, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता का अध्ययन

उपरोक्त सारणी एवं आरेख से स्पष्ट होता है, कि शोध क्षेत्र के 80. 00 प्रतिशत प्रधानाध्यापक, 77.00 प्रतिशत शिक्षक, 68.00 प्रतिशत अभिभावक व 71.00 प्रतिशत छात्र यह मानते हैं, कि शोध क्षेत्र के उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रवृत्ति का समय पर न मिलना, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता का अभाव है और शोध क्षेत्र के 32.00 प्रतिशत अभिभावक व 29.00 प्रतिशत छात्र, 23.00 प्रतिशत शिक्षक व 20.00 प्रतिशत प्रधानाध्यापक यह मानते हैं, कि शोध क्षेत्र के उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रवृत्ति का समय पर न मिलना, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता का अभाव नही है।

सांख्यिकीय विष्लेषण, काई वर्ग की गणना

आवृत्ति	अभाव है	अभाव नही है
F_o	540	210
F_e	375.00	375.00
F_o-F_e	165.00	-165.00
$(F_o$-$F_e)^2$	27225.00	27225.00
$\frac{(F_0 - F_e)^2}{F_e}$	72.60	72.60

$$x^2 = \sum \frac{(F_0 - F_e)^2}{F_e}$$

$x^2 = 145.20$

विश्लेषण एवं व्याख्या

शोध क्षेत्र के उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रवृत्ति का समय पर न मिलना, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता की स्थिति ज्ञात करने के लिए प्राप्त आंकड़ों को काई वर्ग द्वारा विश्लेषित किया गया। गणना द्वारा x^2 का मान 145.20 है, जबकि तालिकामान 1df पर तथा 0.05 व 0. 01 level पर 3.84 व 6.63 है। गणना मान अधिक होने के कारण सार्थक है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रवृत्ति का समय पर न मिलना, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता का अभाव है। अतः परिकल्पना सत्यापित होती है।

निष्कर्ष

शोध क्षेत्र में न्यादर्श में चयनित 70.00 प्रतिशत अभिमतानुसार यह ज्ञात हुआ कि सीधी जिले में उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रवृत्ति का समय पर न मिलना, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता का अभाव है।

संदर्भ

1. शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 1964–66 (1966) पृ. 2
2. भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएँ – पी.डी. पाठक
3. भारतीय संविधान और शासन, पृ. 51
4. शर्मा, राजकुमारी, श्रीवास्तव एस.बी.एन., दुबे, एस.के. (2007)–भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें। राधा प्रकाशन मंदिर, आगरा।

5. मंगल, एस.के. एवं मंगल श्रीमती शुभ्रा (2005) – विद्यार्थी विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, लायल बुक डिपो.
6. पाठक, पी.डी. एवं मंगल, एस.के. (2013) – अधिगमकर्ता का विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, अग्रवाल पब्लिकेशन्स.
7. गुप्ता, एस.पी. (1997) : सांख्यिकी विधियाँ, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद.
8. भालेराव, चन्द्रकान्ता एवं श्रीवास्तव, आषा (2015) – माध्यमिक स्तर पर मध्यप्रदेश में आदिवासी शिक्षा का विकास, रिसर्च लिंक, 135 14(4):117-118.
9. त्रिपाठी रेणु एवं त्रिपाठी, अर्पणा (2007), भारत में प्राथमिक शिक्षा, प्रथम संस्करण, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
10. प्रसाद, गोमती (2009), रीवा संभाग की अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालक–बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का समीक्षात्मक अध्ययन, पी–एच.डी. शिक्षा, अ.प्र.सिंह वि.वि., रीवा.